प्रेस नोट - मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक - 14.08.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 306 भादवि के 01 आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 30 हजार के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना जलालाबाद पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एडीजे-03 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना जलालाबाद में आरोपी सन्त कुमार द्वारा वादी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित करना व दहेज हत्या के आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण-

सन्त कुमार पुत्र रामप्रकाश नि0 बारापत्थर थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर।

घटना व सजा का विवरण-

मु0अ0सं0 - 240/2011 धारा 306 भादवि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर में आरोपी सन्त कुमार द्वारा वादी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित करना व दहेज हत्या के आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।